2014/00013

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

रेफरेंश आवेदन पत्र. संख्या 10/2014

प्रार्थीगण

1.राजेश पुत्र नारणा
2.नरेश पुत्र नारणा
3.हकीमा पुत्र नारणा
4.सुशीला पुत्र नारणा
5.दीपा पुत्र पदमा उर्फ पदा
6.लेहरो पत्नि पदमा उर्फ पदा
7.बाबू पुत्र कमा
8.पांचा पुत्र कमा
9.भाना पुत्र कमा
10.पेमा पुत्र कमा
11.जवारा पुत्र सुमरा
जातियान भील निवासी मांगता
तहसील धोरीमन्ना

बनाम्

अप्रार्थीगण

1.दीपाराम पुत्र सोनाराम
2.मूलाराम पुत्र सोनाराम
जाति जाट निवासी जाणियोंवाला
(बाछड़ाऊ)तहसील चौहटन

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

रेफरेंश आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04.03.1974 बमुकदमा राजस्व वाद संख्या 03/74 द्वारा सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)बाड़मेर

उपस्थितः–1. श्री सुखराज प्रजापत अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री जेठाराम जाणी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय दिनांक 24.05.2016

1. संक्षेप में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वक्त सेटलमेंट मौजा मांगता में स्थित खेत खसरा नम्बर 40 रकबा 39–01 बीघा व खसरा नम्बर 345 रकबा 50.–02 बीघा कुल रकबा 89–03 बीघा भूमि खातेदार चतरा वल्द भगता जाति भील साकिन मांगता के नाम दर्ज था। वादी–अप्रार्थी दीपा,मूला पिसरान सोना जाति जाट ने दिनांक 28.01.1974 को धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादी–प्रार्थी संख्या 01 से 11 के पूर्वज सुमरा पुत्र चतरा,जवारा,कमा पदमा,नारणा पिसरान सुमरा के विरूद्ध सहायक कलक्टर बाड़मेर के न्यायालय में राजस्व वाद पेश कर जाहिर किया कि मौजा मांगताा में स्थित खेत खसरा नम्बर 40 रकबा 39–01बीघा एंव खसरा नम्बर 345 रकबा 50–02 उनकी खातेदारी की है, जो गलती से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गयी है। इसलिये खेत खसरा नम्बर 40 रकबा 39–01 बीघा भूमि वादीगण–अप्रार्थीगण एंव खेत खसरा नम्बर 345 रकबा 50–02

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बीघा वाली भूमि प्रतिवादीगण–प्रार्थीगण के पूर्वज सुमरा पुत्र चुतरा, जवारा, कमा,पदमा,नारणा पिसरान सुमरा की खातेदारी मे घोषित की जाए। इस पर सहायक कलक्टर,बाड़मेर ने राजस्व वाद संख्या 03/1974 दिनांक 04.03.1974 को दर्ज किया एंव प्रतिवादी–प्रार्थी 01 से 11 के पूर्वज,सुमरा,जवारा,कमा,पदमा एंव नारणा द्वारा इकबाली जवाब पेश करना बताते हुए दिनांक 04.03.1974 को वादी का दावा स्वीकार कर खेत खसरा नम्बर 40 रकबा 39–01 बीघा भूमि वादीगण–अप्रार्थी दीपा,मूला पिसराना सोना व खसरा नम्बर 345 रकबा 50–02 बीघा भूमि प्रतिवादीगण–प्रार्थीगण सुमरा पुत्र चतरा,जवारा,कमा पदमा ,नारणा पिसरान सुमरा की खातेदारी में घोषित की गयी व डिक्री जारी की गयी। प्रार्थीगण का यह कथन है कि निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04.03.1974 द्वारा अनुसूचित जनजाति के खातेदारी की भूमि दीपा,मूला जो जाट है, एंव अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है,की खातेदारी में घोषित की गयी है, जो कानून के विपरित है। प्रार्थीगण ने धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह रेफरेंश आवेदन पत्र पेश कर राजस्व वाद संख्या 03/74 में पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04.03.1974 को खारिज कराने हेतु मामला राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर करने हेतु निवेदन किया।

2. हमने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, प्रार्थीगण के नाम कारण बताओ नोटिस जारी किये। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने आवेदन पत्र का विरोध करते हुए अपना जवाब पेश कर आवेदन के पद संख्या 02 से 08 गलत होने से अस्वीकार कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

3. पक्षकारान के अधिक्तागण ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस में बताया कि प्रार्थीगण के पूर्वज सुमरा पुत्र चुतरा की खातेदारी भूमि मांगता के खसरा नम्बर 40 रकबा 39–01 बीघा व खसरा नम्बर 345 रकबा 50–02 बीघा कुल रकबा 89–03 बीघा पर सेटलमेंट से पूर्व काश्त चली आ रही थी। प्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के भील जाति के व्यक्ति है,धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एंव जनजाति वर्ग में आने वाले काश्तकारों की भूमि के सम्बन्ध में स्वर्ण जाति या अन्य जातियां जो अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग से बाहर है,के व्यक्ति अनुसचित जाति व जनजाति के व्यक्ति की भूमि को किसी प्रकार से बेचान, हस्तांतरण इत्यादि नहीं कर सकते है। धारा 175 व 232 के बीच टकराव नहीं है यह नहीं कहा जा सकता कि धारा 175 के दृष्टिकोण में प्राधिकारी धारा 232 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं कर सकता। रेफरेंश पेश करने में 25 वर्ष का लम्बा समय धारा 232 में समय सीमा

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रावधित नहीं हैं। अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 40 प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही के साथ छल कपटपूर्वक खसरा नम्बर 40 अपनी खातेदारी में दर्ज करवाई गई। प्रार्थीगण की ओर से झूठे व फर्जी अंगुष्ठ निशान व हस्ताक्षर कर इकबाली जवाब दावा पेश किया जिसमें प्रार्थीगण के पूर्वज सुमरा,जवारा,कमा,पदमा नारणा की जानकारी के बिना कुटरचित व फर्जी इकबाली जवाबदावा उसी दिन पेश किया है अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर पूर्व नियोजित षडयंत्र से इकबाली जवाब दावा पेश करवाकर आदेश पारित करवाया। प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 40 रकबा 39.01 बीघा अप्रार्थीगण की खातेदारी में घोषित कर नामान्तरकरण संख्या 125 स्वीकृत करवाकर अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवा लिया गया जिसके बारे मे इतने दिनो तक प्रार्थीगण की कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 40 रकबा 39–01 बीघा पर प्रार्थीगण व उससे पूर्व उसके पूर्वजो का कब्जा काश्त चनला आ रहा था। गलत निर्णय के विरूद्ध रेफरेश अथवा अपील पेश करने की कोई मियाद नहीं होती है। अवैध व गलत आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। खसरा नम्बर 40 रकबा 39–01 बीघा पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण के पूर्वज जवारा,कमा वगैरा का है अप्रार्थीगण द्वारा वाद में कब्जा काश्त होने का कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने 2005(2) आरआरटी पेज 961, 2006(1)आरआरटी पेज 609, 2009 (1)आरआरटी पेज 693,आरआरटी (1)पेज 701, आरआरटी 2002(2) पेज 832, 2914(2) आरआरटी पेज 788, आरआरटी 2012 (1) पेज 344 के कानूनी दृष्टांत पेश करते हुए प्रार्थीगण का रेफरेश आवेदन स्वीकार कर मामला राजस्व मण्डल को अग्रेषित करने का निवेदन किया।

4. अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस में बताया कि ग्राम मागंता की भूमि खसरा संख्या 40 रकबा 39.01 बीघा अप्रार्थीगण व उसके पूर्वज सोनाराम के कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकारो की भूमि थी जो वक्त सेटलमेंट से अप्राथीगण के पूर्वज के नाम गलत दर्ज हो गई थी जिसका ज्ञान अप्रार्थीगण को होने पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के पूर्वज सुमरा व उसके चारो पुत्रों के विरूद्ध सहायक कलक्टर बाड़मेर के न्यायालय में सन 1974 में राजस्व वाद पेश किया था जिसमें प्रार्थीगण के पूर्वज सुमरा व उसके चारो पुत्र जवारा,कमा,पदमा व नारणा ने जरिये इकाबली जवाबदावा पेश कर अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों व कब्जा काश्त की भूमि के सम्बन्ध में वादीगण के दावों को स्वीकार किया था लेकिन अप्रार्थीगण के वकील ने गलती से दोनो खसरे एक ही खतौनी पर अंकित होने पर खसरा नम्बार 40 के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बजाय खसरा संख्या 345 का अंकन अप्रार्थीगण के दावे में कर दिया जिसके आधार पर खसरा नम्बर 40 की भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी मे घोषित की गई। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण के पूर्वज सुमरा वगैरा व अप्रार्थी दीपाराम वगैरा को होने पर दोनो पक्षों ने अपनी सहमति से वास्तविक भौतिक कब्जा काश्त राजस्व वाद संख्या 3/74 पेश कर खसरा संख्या 40 रकबा 39–01 बीघा भूमि अप्रार्थी दीपाराम वगैरा के नाम से एंव खसरा संख्या 345 रकबा 50–02 बीघा भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज सुमरा के नाम से खातेदारी जारी करने का वाद पेश किया था प्रस्तुत वाद में प्रार्थीगण के पूर्वज सुमरा व उनके चारो पुत्र जवारा, कमा, पदमा,नारणा ने जरिये वकील मदनलाल सिंगल उपस्थित होकर लिखित में इकबाली जवाब पेश कर अपने हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान किये थे उक्त जवाब दावा द्वारा खसरा संख्या 40 रकबा 39–01 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के पूर्वज के कब्जा व खातेदारी अधिकारो का होने का कथन किया व सेटलमेंट के समय गलती से प्रार्थीगण के पूर्वज के नाम दर्ज होने का भी कथन किया गया।प्रार्थीगण के पूर्वज सुमरा,,नारणा,पदमा,सुमरा स्वयम् अपने जवाबदावे के कथनों से धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के तहत विबन्धित है। उन्होने तर्क दिया कि धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में डिक्री को रेफरेंश करने हेतु दिनांक 05.10.1981को संशोधन कर जोड़ा गया है। यह प्रकरण वर्ष 1974 का होने से धारा 232 में दिनांक 05.10. 1981 को किया गया संशोधन लागू नहीं होता है। रेफरेंश आवेदन पेश करने हेतु विधि में कोई मयाद नहीं है। मगर असाधारण देरी हेतु आवेदन ग्रहण नहीं किया जाना चाहिये। धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई परिसीमा निर्धारित नहीं की गई है और अब किसी प्रकरण व धारा में परिसीमा निर्धारित नहीं होने पर ऐसे प्रकरण में भारतीय परिसीमा अधिनियम1963 के आर्टिकल 137 के तहत शासित होता है जिसमें 3 वर्षो के अंदर उक्त आवेदन प्रस्तुत करने की परिसीमा निर्धारित की गई है हस्तगत प्रकरण करीब 41 वर्षो के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, जो परिसीमा से बाहर है। धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अवैध रूप से अन्तरण मे दिनांक 04.12.1981 को संशोधन कर 12 वर्ष की अवधि के स्थान पर 30 वर्ष की अवधि की गई है। उक्त संशोधन हस्तगत प्रकरण सन् 1974 का होने की वजह से लागू नहीं होता है, केवल 12 वर्ष की अवधि लागू होती है जो समाप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त धारा 183(ख)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा धारित भूमि पर अतिक्रमियों की संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा बेदखली का प्रावधान रखा गया है जिसकी परिसीमा 12 वर्ष रखी गयी है वह भी परिसीमा समाप्त हो गई है। अप्रार्थी दोनो प्राइवेट पार्टिया है। प्राइवेट पार्टियो

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

के बीच विवाद होने पर रेफरेन्स नहीं कर सक्षम न्यायालय में अपील की जाती है व वाद प्रस्तुत किया जाता है यह प्रकरण दोनो प्राइवेट पक्षो के बीच निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसका रेफरेंश नहीं हो सकता। उन्होने यह भी तर्क दिया कि धारा 42 में विक्रय,दान, और वसीयत पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। उक्त धारा में आदेश, निर्णय व डिक्री को सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण– प्रतिवादीगण द्वारा इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की कोई चाराजोही नहीं की गई क्योकि सक्षम न्यायालय द्वारा जो डिक्री जारी की गई है वह सही एंव भूप्रबन्धक विभाग द्वारा जारी की गई भूल को सुधार करने के लिये जारी की गयी है। विधि में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि स्वर्ण जाति का व्यक्ति अपने हकूकों की सुरक्षा अथवा घोषणा हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के विरूद्ध न्यायालय में दावा ला ही नहीं सकता अथवा अपने विधिक न्यायिक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता या विभागीय स्तर से रेकर्ड संधारण के दौरान कोई त्रुटि हुई हो तो उसकी दुरस्ती नहीं कर सकता। वादी के दावा की पुष्टि हेतु जवाब इकबाली न्यायालय के समक्ष पेश हुआ जिसमे आधार पर दावा डिक्री किया गया है। राजस्व वाद संख्या 03/74 मे डिक्री पारित करने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं हुई है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने 1978 आरआरडी 355,507, 2005आरआरडी पेज 303, 1999(3)JT (SC)–38 AIR 199 SC पेज 1351, 2007(1) आरआरटी(HC–DB)39, 2014(4) DNJ(SC)889, 2006(2)आरआरटी(HC)–839, 2015 (2)आरआरटी पेज 868 के कानूनी दृष्टांत पेश करते हुए प्रार्थीगण का रेफरेश आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

5. हमने दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। वाद पत्रावली एंव प्रस्तुत कानूनी दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/74 में पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04.03.1974 को खारिज करने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रेफर करने हेतु निवेदन किया है। वाद पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि वादी–अप्रार्थी दीपा,मूला पिसरान सोना ने सहायक कलक्टर बाड़मेर के न्यायालय में दिनांक 28.01.1974 को राजस्व वाद पेश कर मौजा मांगता में खेत खसरा नम्बर 40 रकबा 39–01बीघा एंव खसरा नम्बर 345 रकबा 50–02 उनकी खातेदारी की है, जो गलती से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गयी है। इसलिये खेत खसरा नम्बर 40 रकबा 39–01 बीघा भूमि वादीगण–अप्रार्थीगण एंव खेत खसरा नम्बर 345 रकबा 50–02 बीघा वाली भूमि प्रतिवादीगण–प्रार्थीगण के पूर्वज सुमरा पुत्र चुतरा, जवारा, कमा,पदमा,नारणा पिसरान सुमरा की खातेदारी मे घोषित की जाए। इस पर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सहायक कलक्टर,बाड़मेर ने राजस्व वाद संख्या 03/74 दिनांक 04.03.1974 को दर्ज किया एंव प्रतिवादी सुमरा पुत्र चतरा, जवारा, कमा, पदमा,नारणा पिसरान सुमरा द्वारा इकबाली जवाब पेश कर खेत खसरा नम्बर 40 रकबा 39–01 बीघा वाली भूमि वादीगण की खातेदारी में एंव खसरा नम्बर 345 रकबा 50–02 बीघा वाली भूमि के खातेदारी अधिकार प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में करार दिये जाने पर कोई आपति नहीं होना बताया। जिसको अधिवक्ता श्री मदनलाल सिंगल द्वारा तस्दीक किया गया। प्रतिवादी सुमरा पुत्र चतरा, जवारा,कमा, पदमा,नारणा पिसरान सुमरा स्वयम् अपने जवाबदावे के कथनों से धारा 115 साक्ष्य अधिनियम के तहत estopped है, क्योंकि इकबाली जवाब दावा के प्रस्तुत होने पर दोनो पक्षों में विवाद नहीं होने से सहायक कलक्टर ने वाद स्वीकार निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसके सम्बन्ध में धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रावधान किया गया है–

When on person has, by his declaration, act or omission, intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative, to deny the truth of that thing.

हस्तगत प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित की गई है,जो धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रभावित नहीं होती है क्योंकि धारा 42 में विक्रय(sale),दान(Gift), और वसीयत(Bequest) पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। उक्त धारा में आदेश(Order), निर्णय(Judgement) व डिक्री(Decree) को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके सम्बन्ध में 2000 आरआरडी (Hc)–52 में अभिनिर्धारित किया गया है–

Raj. Tenancy Act, section 42 & 232–Land belonging to s.c. transfered in favour of non s. c. in execution of decree passed by subordinate revenue court (s. d. o.)– such transfer made by decree is not a sale, gift or bequest as envisaged by s. 42 therefore, provisions of s. 42 are not affected to such transfer– Thus, reference made by collector u/s 232 and order of Board of Revenue holding and transfer as violative of s. 42 and setting aside the same, were legally wrong and as such quashed.

इसके सम्बन्ध में 2007(1) आरआरटी(HC–DB)–39 Hanjaram vs state of Rajasthan में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बैंच ने अभिनिर्धारित किया गया है–

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Raj. Land Revenue Act, 1956. Tenancy Section 19 Raj. Act, Section 42 & 221- Exercise of powers by BOR after 20 years of passing decree- period of limitation- Board assumed that it s a case of transfer of land of member sc to non sc without any foundation power exercised after an in ordinate delay- No case of transfer of land from scheduled caste to non scheduled caste- entry made on the basis of decree of competent court- Provisioin of sec 42 are not attracted- single judge rigtly held that exercise of powers by BOR u/sec 221 was not justified- Held, order of Board of Revenue is not sustainable &appeal deserves to be Dismissed

धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में डिक्री को रेफरेंश करने हेतु दिनांक 05.10.1981को संशोधन कर जोड़ा गया है। यह प्रकरण वर्ष 1974 का होने से धारा 232 में दिनांक 05.10.1981 को किया गया संशोधन लागू नहीं होता है। इस प्रकार वादी–अप्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त मानते हुए सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 04/74 में पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 04.03.1974 अप्रार्थीगण दीपा व मूला के हक में जारी की गई है जो सही एंव न्यायोचित प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने सहायक कलक्टर द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री के विरूद्ध यह रेफरेंश आवेदन पेत्र 41 वर्ष बाद पेश किया गया है। हॉलांकि रेफरेंश हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जो परिसीमा से बाहर है। धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अवैध रूप से अन्तरण में दिनांक 04.12.1981 को संशोधन कर 12 वर्ष की अवधि के स्थान पर 30 वर्ष की अवधि की गई है। उक्त संशोधन हस्तगत प्रकरण सन् 1974 का होने की वजह से लागू नहीं होता है, केवल 12 वर्ष की अवधि लागू होती है जो समाप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त धारा 183(ख)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा धारित भूमि पर अतिक्रमियों की संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा बेदखली का प्रावधान रखा गया है जिसकी परिसीमा 12 वर्ष रखी गयी है वह भी परिसीमा समाप्त हो गई है। माननीय उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल द्वारा यह अवधारित किया जा चुका है कि ऐसे असाधारण विलम्ब में प्रस्तुत रेफरेंश मामलो में रेफरेंश आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएं। 1996 RRD पेज 170 में 25 वर्ष बाद प्रस्तुत रेफरेंश में शक्तियों का प्रयोग करना, Arbitrary, unreasonable एंव illegal माना गया है। इसी प्रकार RRD 1987 पेज 532 व RRD 1988 पेज 648 में यह प्रतिपादित किया गया है कि केवल राज्य हित अथवा सार्वजनिक हित और लोक नीति के विरूद्ध

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय डिक्री होने पर ही तृतीय पक्ष रेफरेंश आवेदन पत्र पेश कर सकता है। DNJ (RAJ) 2005(1) पेज 540 में यह बताया है रेफरेंश युक्तियुक्त अवधि में करना चाहिये, 18 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद शाक्तियों का उपयोग न्याय संगत नहीं है। इसी प्रकार RRT 2005(2)पेज 1032 में एक लम्बे समय से भूमि कब्जे में रहने से रेफरेंश करने के वैध कारण नहीं है। ऐसी स्थिति में सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री एंव आदेश रेफरेंश के माध्यम से 41 वर्ष बाद निरस्त कराया जाना उपरोक्त न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसरण में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस निर्णय एंव डिग्री को पारित किये 41 वर्ष हो चुके है प्रार्थीगण ने अब इतने लम्बे अरसे बाद यह रेफरेंश आवेदन पत्र पेश किया है जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। प्रार्थी पक्ष सहायक कलक्टर बाड़मेर के निर्णय व डिग्री दिनांक 04.03.1974 में ऐसी कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता साबित नहीं कर सके है जिसके कारण इस आदेशों को अपास्त कराया जा सके।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण का यह रेफरेंश आवेदन पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राज.)

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 24.05.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर